



दिनांक: 19/03/2024

क्रमांक:- रापॉबा/छात्रशाखा/2023-24/

कार्यालय आदेश

इस संस्थान में अध्ययनरत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के नियमित एवं पार्श्व प्रवेशित छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी संस्था शुल्क की द्वितीय किस्त(सत्र 2023-24) निम्नांकित सारणी के अनुसार दिनांक: 26.02.2024 से 09.03.2024 की अवधि के मध्य ऑनलाइन SBI COLLECT के माध्यम से जमा करवायी जानी थी, अब इसकी अंतिम तिथि को बढ़ाकर 26/03/2024 किया जाता है। फीस की राशि स्वयं विद्यार्थी द्वारा SBI Collect पर ऑनलाईन/कैश (संस्थान में कमरा नं.-33) में जमा करानी होगी। संस्था शुल्क की द्वितीय किस्त जमा नहीं कराने पर विद्यार्थी को परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित कर दिया जायेगा जिसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

राज्य कर्मचारी पर आश्रित (जो आयकर दाता नहीं है)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा महिला एवं TFWS योजना के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों को उपरोक्त राज्य सरकार के आदेशानुसार शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व राज्य कर्मचारियों पर आश्रित (जो आयकर दाता नहीं है) एवं TFWS योजना के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों को निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।

SBI COLLECT के माध्यम से फीस जमा करने हेतु लिंक निम्नानुसार है:-

<https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm?corpID=1457756>

क. सं.	प्रवेश वर्ष	महिला/जो राज्य कर्मचारी आयकर दाता नहीं है उन पर आश्रित छात्राएँ एवं TFWS योजना के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राएँ	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/जो राज्य कर्मचारी आयकर दाता नहीं है उन पर आश्रित छात्र एवं TFWS योजना के अन्तर्गत प्रवेशित छात्र	सामान्य वर्ग/ओबीसी / एसबीसी के छात्र
1	द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (2022-23 एवं 2021-22 में प्रवेशित)	2875/-	2875/-	7025/-
2	प्रथम वर्ष 2023-24 में नव-प्रवेशित	3575/-	4075/-	8225/-
3	द्वितीय वर्ष (पार्श्व प्रवेश 2023-24 में नव-प्रवेशित)	3575/-	4075/-	6150/-

नोट:- जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु रसीद अपलोड करनी हो, वह कमरा नं. - 33 में कैश जमा कराकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानाचार्य

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बारां
दिनांक: 19/03/2024

क्रमांक:- रापॉबा/छात्रशाखा/2023-24/ 6295-6298
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- कैशियर/परीक्षाशाखा।
- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी उक्त आदेश से विद्यार्थियों को अवगत कराये/वाट्सएप ग्रुप में डालने का श्रम करें।
- प्रभारी वेबसाइट उक्त आदेश को संस्था की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- सूचना पट्ट।

प्रधानाचार्य

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बारां